



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

No. 192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2007/चैत्र 29, 1929

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 2007/CHAITRA 29, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2007

सा.का.नि 298(अ).—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती नियम, 2006 को उन बारों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती नियम, 2007 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदृत्त होंगे।
- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, वेतन, भत्ते, छुट्टी और सेवा आदि की अन्य शर्तें—
(1) अध्यक्ष का वेतनमान वह होगा जो अनुसूची के स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन तत्समान वेतनमान के पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को लागू तत्समय प्रवृत्त नियम और आदेश वोर्ड के अध्यक्ष के भत्ता, छूटटी, कार्य ग्रहण अवधि, कार्यग्रहण अवधि वेतन, भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता की आयु, सेवानिवृत्ति फायदे, चिकित्सा सुविधाएं और सेवा की अन्य शर्तों की बाबत सेवा की शर्तों को विनियमित करेंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि :- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	एक*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसुचिवीय	पुनरीक्षित 22400-525-24,500 रुपए	चयन

* (2006) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6 लागू नहीं होता	7 लागू नहीं होता	8 लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोत्तत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवेक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होनी है या प्रोत्तत द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
9 लागू नहीं होता	10 लागू नहीं होता	11 प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं)

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोत्तति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोत्तति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपकरणों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वशासी या अर्द्ध सरकारी या सांविधिक संगठनों या अन्य गैर सरकारी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी, -	13 लागू नहीं होता	14 लागू नहीं होता
(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; या		

<p>(ii) जिन्होंने 18,400-22,400/- के या समतुल्य वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने 16,400-22,400 या ₹ 16,400-20,000 के वेतनमानों में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं -</p> <p>(i) पर्यावरण से संबद्ध भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री/पर्यावरण से संबद्ध किसी विधा में इंजीनियरी में डिग्री।</p> <p>(ii) सरकारी विभागों / संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/स्वशासी या अर्द्ध सरकारी या सांविधानिक संगठनों या अन्य गैर सरकारी निकायों में पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित मामलों में व्यावहारिक अनुभव अथवा ऐसे मामलों में व्यवहार करने का प्रशासनिक संस्थाओं में प्रबंधक स्तर का 18 वर्ष का अनुभव</p>		
<p>वांछनीय</p> <p>पर्यावरण से संबंधित भौतिक विज्ञान में पी.एच.डी/पर्यावरण से संबंधित विधा में, इंजीनियरी में एम.टेक</p> <p>टिप्पणी :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या</p>		

<p>किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए-12018/1/2006-सीपीडब्ल्यू]

जी. बालाचंद्रन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2007

G.S.R. 298 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section 2 of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, (6 of 1974) and in supersession of the Chairman, Central Pollution Control Board Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for regulating the terms and conditions of service of the Chairman in the Central Pollution Control Board, namely:—

1. Short title and commencement :— (1) These rules may be called the Chairman Central Pollution Control Board Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

2143G2/07-2

3. Method of recruitment, age limit, qualification, pay, allowances, leave and other conditions of service etc of Chairman Central Pollution Control Board-

(1) The scale of pay of Chairman shall be as specified in column 4 of Schedule.

(2) The rules and orders for the time being in force applicable to an officer holding posts of the corresponding scale of pay under the Central Government, shall regulate the conditions of service in respect of allowance, leave, joining time, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits, medical facilities and other conditions of service of the Chairman of the Board.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc:- The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification :- No Person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person or the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Schedule Caste/Schedule Tribe/ Other Backward Classes/Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Chairman, Central Pollution Control Board	One*	General Central Service – Group - A Gazetted – Non-Ministerial	(Revised) Rs. 22,400-525-24,500	Selection

* (2006) Subject to variation dependent on workload

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment – whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled in by various methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12 Officers under the Central/State Governments/ Public Sector Undertakings/ Universities/Recognised Research Institutions or Autonomous or Semi-Government or Statutory Organisations or other Non-Government bodies;	13 Not applicable	14 Not applicable

<p>(a)(i) Holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) With three years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 18400-22400 or equivalent; or</p> <p>(iii) With five years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400-22400; or Rs. 16400-20000/-</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Master's Degree in Physical Science relating to environment/Degree in engineering in a discipline relating to environment</p> <p>(ii) Eighteen years experience in Government Departments/ Institutions/Central Public Sector Undertakings/ Universities/Recognised Research Institutions/ Autonomous or Semi-Government or Statutory Organisations or other Non-Government Bodies at Managerial levels with practical experience in matters relating to environmental protection or experience in administering Institutions dealing with such matters.</p> <p>Desirable:</p> <p>Ph. D in Physical Science relating to Environment/M. Tech in engineering in a discipline relating to Environment</p> <p>Note: the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately</p>	
---	--

preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/1/2006-CPW]

G. BALACHANDHRAN, Jt. Secy.

2143 GI/07-3